1 :– ग्रिड-इंडिया बनी मिनीरत्न कंपनी

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया) ने मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 2009 में स्थापित, ग्रिड-इंडिया के पास भारतीय विद्युत प्रणाली के त्रुटिहीन और निर्बाध संचालन की देखरेख करने, क्षेत्रों के भीतर और उनके पार विद्युत शक्ति का कुशल हस्तांतरण सुनिश्चित करने, विश्वसनीयता, मितव्ययिता और स्थिरता पर ध्यान देने के साथ ही साथ पारदेशीय विद्युत विनिमय सुगम बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व है।

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्रीय) के उद्यमों को अलग-अलग श्रेणियों - महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के तहत वर्गीकृत किया जाता है

मिनीरत्न:
मिनीरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिये जरूरी है कि कंपनी ने विगत तीन वर्षों से लगातार लाभ की स्थिति में रही हो और तीन साल साल की अवधि में कम से कम एक बार 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।

नवरत्न: इसका दर्जा 1997 से दिया जाता है मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त हो साथ ही पिछले पाँच वर्षों में से किन्ही तीन वर्षो में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त हो साथ ही निम्न लिखित छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये छह मापदंड हैं: 1.शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ । 2उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत। ,3.मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज । 4.ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर । 5. प्रति शेयर कमाई। 6.अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन उदाहरण: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आदि।

महारत्न कंपनियाँ :-

केंद्र सरकार ने महारत्न श्रेणी की स्थापना 2010 में की थी। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है नवरत्न का दर्जा पहले से प्राप्त हो। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होनी चाहिये।

भारत में पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) को विशेष गैर-वित्तीय उद्देश्यों के आधार पर इनका वर्गीकृत किया जाता है साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 25) के तहत इनका पंजीकरण किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के द्वारान औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो ।

पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ से अधिक का हो । अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उपस्थिति होनी चाहिये। उदाहरण: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, आदि।

2 :– प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत लाए किए हैं। जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016 में संशोधन किया जाना है।

प्लास्टिक प्रदूषण के निपटान के लिए सरकार द्वारा शुरु की गई पहलें :–

प्लास्टिक अपशिष्ट को उसके उदगम स्थल पर ही अलग-अलग करने उसके परिवहन और प्रोसेसिंग की दिशा में प्रयास किया जाए. । प्लास्टिक और अन्य शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular economy) को बढ़ावा देना है।
सिंगल-यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगाया है इसके अंतर्गत कुछ चुनिंदा चीजों को सामिल किया गया।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 में सम्मलित नियम :–

एक नया नियम जोड़ा गया है जिसके द्वारा जिला स्तर पर उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट और उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन किया जा सके ।

संग्रह के लिए जिम्मेदार :– जिस व्यक्ति या निर्माता द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद को बाजार में लाया जाता है बह खुद उस प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा।

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR) (EPR से आशय है कि किसी उत्पाद की उसकी उपयोग अवधि की समाप्ति तक पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन हेतु निर्माता की जिम्मेदारी होगी) को उपर्युक्त जिम्मेदारी में शामिल माना जाता है।

रिपोर्ट्स: प्लास्टिक के उत्पाद के निर्माता और प्लास्टिक निर्माण के लिए रॉ मैटेरियल के आयातक के लिए आवश्यक और अनिवार्य है की त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करें। यह रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (PCC) के पास जमा करनी होगी ।

3 :– - UNSC को 21 वीं सदी के लायक बनाएं:– भारत

चर्चा में क्यों :– रुचिरा कंबोज जो की UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है इन्होंने UNSC में बदलाव का मुद्दा उठाया और कहा- ग्लोबल साउथ के देश बिना सीट, बिना अधिकार और बिना आवाज के UNSC में आते हैं, और चले जाते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

सुरक्षा परिषद के अधिकतर स्थायी सदस्य भी यह स्वीकार्य करते हैं कि परिषद में और अधिक स्थाई और अस्थाई सदस्यों को

शामिल करके की जरूरत है जिससे सुरक्षा परिषद को 21वीं की जरूरत के लायक बनाया जा सके । UNSC के स्थायी सदस्य देशों का चयन 20वीं सदी की राजनीति के आधार पर हुआ था। लेकिन सभी समीकरण बदल गए है ।

UNSC में सुधार के लिए उपलब्ध किए गए यूनाइटिंग फॉर कनसेंसस (UFC) मॉडल का भी भारत ने विरोध किया। UFC 12 देशों और 2 ऑब्जर्वर का समूह है जिसनें चीन भी शामिल है। यह समूह सुरक्षा परिषद में सुधार का विरोध करता है। भारत इस समूह का विरोध करते हुए कहता है की यह मॉडल अफ्रीका, लेटिन अमेरिका के देशों और एशिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। भारत की प्रतिनिधि ने कहा- अफ्रीका 54 देशों का समूह है और इसके से कोई भी स्थाई सदस्य के रूप में सामिल नहीं है अफ्रीका भी UNSC के विस्तार की मांग समय समय पर करता रहा है।

सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए विचार 1990 के दशक में आरंभ हुई. फिर 2000 में आयोजित मिलेनियल समिट में पहली बार वैश्विक नेताओं ने UNSC में सुधार के लिए प्रतिबद्धता दिखाई । परंतु 25 साल बीत जाने के बाद भी बदलाव नहीं हुए । UNSC वर्तमान में एक ऐसा संगठन बन जाएगा जो गुमनामी की तरफ बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

गठन :– 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद. संयुक्त राष्ट्र की नींव 50 देशों ने मिलकर रखी। वर्तमान में 193 देश इसके मेंबर हैं।

संयुक्त राष्ट्र अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद है-

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) इन सब में सबसे मुख्य है

UNSC में 5 देश स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य होते है स्थायी सदस्य को P5 भी कहा जाता है।

P5 :– चीन,फ्रांस,रूस,ब्रिटेन और अमेरिका

UNSC में प्रस्ताव पारित होने के लिए आवश्यक है की इन पांचों का समर्थन इस प्रस्ताव को प्राप्त हो। अगर P5 में किसी एक देश ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है।

G4 और UFC (कॉफी क्लब)

G4 :– इसमें चार सदस्य है भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील । ये सभी UNSC में बदलाव चाहते है और स्थाई सदस्य बनने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते है

UFC (कॉफी क्लब) :– G4 के विरोध में इसका गठन किया गया । पाकिस्तान, तुर्किये, कनाडा, इटली, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल । 2 ऑबजर्वर देश चीन और स्पेन।